प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील संख्या 458/2008

भागवत प्रसाद (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि

1. गन्नू राम साहू उम्र लगभग 58 वर्ष पिता स्व भगवत प्रसाद साहू,
निवासी ग्राम खैरा, तहसील कोटा, जिला– बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

2. श्रीमती बिचित बाई, उम्र लगभग 40 वर्ष पिता स्व भागवत प्रसाद साहू,
पति बैजनाथ साहू, निवासी ग्राम हदीगांव, तहसील लोरमी, जिला– मुंगेली (छत्तीसगढ़)

3. श्रीमती जमुना बाई, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता स्व भगवत प्रसाद साहू,
पति भानु प्रताप साहू, निवासी ग्राम पेंडरवा, तहसील बिल्हा, जिला– बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्रीमती सरस्वती बाई, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता स्व भागवत प्रसाद साहू,
पति जमुना प्रसाद साहू, निवासी ग्राम सिवनी, तहसील मरवाही, जिला– बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

5. बिनोद कुमार साहू उम्र लगभग 30 वर्ष पिता स्व भगवत प्रसाद साहू,
निवासी ग्राम खैरा, तहसील कोटा, जिला– बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

----अपीलकर्ता

बनाम

1. समारू राम पिता स्वर्गीय तुलाराम साहू, उम्र 51 वर्ष,

----उत्तरवादी/वादी

2. सहरू राम पिता स्वर्गीय तुलाराम साहू, उम्र 44 वर्ष,

3. रामबहोरन पिता स्वर्गीय तुलाराम साहू, उम्र 38 वर्ष

सभी निवासी ग्राम खैरा, तह. कोटा, जिला. बिलासपुर

(छत्तीसगढ़)

4. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़)

----उत्तरवादी

अपीलकर्ता/उत्तरवादी संख्या 1 के विधिक प्रतिनिधि के लिए:	श्री रविंद्र अग्रवाल, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 1/वादी के लिए:	श्री अरविंद दुबे, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 4 के लिए:	श्री रवि भगत, उप शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

03/12/2019

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. अपीलकर्ता/उत्तरवादी सं.1 द्वारा सी.पी.सी. की धारा 100 के अंतर्गत प्रस्तुत यह द्वितीय अपील, निम्नलिखित विधिक प्रश्न तैयार करके सुनवाई के लिए स्वीकार की गई:-

> "क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उत्तरवादी सं.1 (उसके प्रतिदावे पर) के पक्ष में अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन और स्वामित्व की घोषणा की डिक्री देने वाले विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को इस तथ्य के प्रकाश में विपरीत निष्कर्ष दर्ज करके उलटना उचित था कि वादी ने उत्तरवादी सं.1 के पक्ष में दिए गए अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की डिक्री पर सवाल नहीं उठाया था, जिसमें विशिष्ट निष्पादन की डिक्री को चुनौती देने के लिए कोई न्यायालय शुल्क भी नहीं दिया गया था?

(इसके बाद सुविधा के लिए, मुकदमे में प्रस्तुत की गई स्थिति के अनुसार पक्षकारों के रूप में संदर्भित किया जाएगा।)

2. वादी समारूराम ने स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद प्रस्तुत किया, जिसमें उत्तरवादी संख्या 1 ने भी प्रतिदावा प्रस्तुत किया और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की घोषणा के अलावा अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री का दावा किया। विचारण न्यायालय ने अभिलेख

पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करने के बाद, अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 12.11.2003 द्वारा, स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वादी के वाद को खारिज कर दिया और उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा को स्वीकार कर लिया और उसके पक्ष में अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री प्रदान की। प्रथम अपीलीय अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में स्वामित्व की घोषणा के लिए डिक्री स्वीकृत की गई तथा अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के डिक्री को अपास्त किया गया, जिसके विरुद्ध मूल अपीलकर्ता/उत्तरवादी द्वारा सी.पी.सी. की धारा 100 के अंतर्गत यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, विधि संख्या 1 का महत्वपूर्ण प्रश्न इस निर्णय के आरंभिक पैरा में प्रस्तुत किया गया है।

3. श्री रविन्द्र अग्रवाल, अपीलकर्ताओं/उत्तरवादी संख्या 1 के विधिक प्रतिनिधियों के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करेंगे कि प्रथम अपीलीय न्यायालय, अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष 250/– रूपये की न्यायालय फीस के साथ अपील प्रस्तुत न किए जाने के कारण, विचारण न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस प्रकार, अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री न्यायालय फीस का भुगतान न करने तथा अपने पक्ष में प्रतिदावा प्रदान करने वाली डिक्री के विरुद्ध अपील प्रस्तुत न करने के कारण अंतिम हो गई है, इस प्रकार, डिक्री उस सीमा तक अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने वाद के बाद से तथा उत्तरवादी सं. 1/वादी के प्रतिवाद में यह प्रस्तुत किया कि एकीकृत कार्यवाही होने के कारण वादी ने समेकित अपील प्रस्तुत की तथा उत्तरवादी सं. 1 ने कोई आपत्ति नहीं ली तथा एक सुनियोजित मौका लिया तथा जब अपील उसके विरुद्ध हो गई, तो उसने एक नया आधार गढ़ लिया, जिस पर विचार नहीं किया जा सकता तथा इस प्रकार अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में उत्तरवादी सं. 1 ने अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री का दावा करते हुए प्रतिवाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने वादी के मुकदमे को खारिज करते हुए उत्तरवादी संख्या 1 के पक्ष में अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री प्रदान करते हुए प्रतिदावा स्वीकार किया, जिस पर वादी ने अपील के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करके आपत्ति जताई थी, जो कि प्रथम समेकित अपीलीय अपील न्यायालय था।

यह दावा करते हुए कि विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को अलग रखते हुए वादी के स्वामित्व की घोषणा के मुकदमे को खारिज कर दिया गया और अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए उत्तरवादी के प्रतिदावे को स्वीकार किया गया।

7. इस स्तर पर व्य. प्र. सं. के आदेश 20 नियम 19 को नोटिस करना उचित होगा जो इस प्रकार है:

> 9. जब मुजरा या प्रतिदावा अनुज्ञात किया जाए तब डिक्री–
>
> (1) जहां प्रतिवादी को वादी के दावे के विरुद्ध मुजरा [या प्रतिदावा] अनुज्ञात किया गया है वहां डिक्री में यह कथन होगा कि वादी को कितनी रकम शोध्य है और प्रतिवादी को कितनी रकम शोध्य है और वह किसी ऐसी राशि की वसूली के लिए होगी जो दोनों पक्षकारों में से किसी को शोध्य प्रतीत हो ।
>
> (2) मुजरा या प्रतिदावा सम्बन्धी डिक्री की अपील–किसी ऐसे बाद में, जिसमें मुजरा का दावा [या प्रतिदावा] किया गया है पारित कोई भी डिक्री अपील के बारे में उन्हीं उपबन्धों के अधीन होगी जिनके अधीन वह होती यदि किसी मुजरा का दावा [या प्रतिदावा] न किया गया होता ।
>
> (3) इस नियम के उपबन्ध लागू होंगे चाहे मुजरा, आदेश 8 के नियम 6 के अधीन या अन्यथा अनुज्ञेय हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. सुल्तान सिंह व अन्य बनाम रछपाल व अन्य[1] मामले में पेप्सू उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना है कि एक मामले में जहां दो अलग–अलग डिक्री के खिलाफ, दोनों डिक्री से एक समेकित द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी, जबकि दो अपीलें पेश की जानी चाहिए थीं, लेकिन उत्तरवादी द्वारा प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं ली गई थी और अपील प्रस्तुत करते समय अधिकारी द्वारा उस गलती का पता भी नहीं लगाया गया था, इसलिए प्रक्रिया को अनियमित माना गया।

9. केरल फिलिप बनाम उच्च न्यायालय कुरीथोट्टियिल में जहां किन्हीमोहम्मद[2] प्रतिदावे का मामला पंपारा द्वारा उत्तरवादी द्वारा खारिज कर दिया गया है और वादी का दावा स्वीकार किया गया है, उत्तरवादी को डिक्री के खिलाफ नियमित अपील के अलावा अपने प्रतिदावे के लिए अलग से अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष एक ही अपील स्वीकार्य है। प्रतिदावा को चुनौती देते हुए आगे की कार्यवाही में दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि मुकदमा एकीकृत कार्यवाही है, इसलिए अपील का मूल्यांकन मुकदमे के मूल्यांकन और प्रतिदावे के मूल्यांकन का संयोजन होगा।

---

1 AIR 1953 PEPSU 129
2 AIR 2007 KERALA 69

10. पेप्सू उच्च न्यायालय सुल्तान सिंह (पूर्वोक्त) द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांत का पालन महाराष्ट्र राज्य के मामले में कलेक्टर यवतमाल बनाम कृष्ण अवतार दौलतसिंह मदन[3] के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ किया गया।

11. वर्तमान मामले के तथ्यों को कानूनी स्थिति के प्रकाश में देखते हुए, इस मामले में, वादी ने मूल्यांकित मुकदमे के संबंध में प्रथम अपीलीय मूल्यांकन न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, लेकिन अपील में प्रतिदावे के मूल्यांकन को शामिल नहीं किया गया तथा प्रतिदावे के लिए न्यायालय शुल्क ₹ 250/– का भुगतान नहीं किया गया। वास्तव में, उसने प्रतिवाद को खारिज करने वाले विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को चुनौती देने का इरादा किया क्योंकि उसने अनजाने में पूरे मुकदमे का मूल्यांकन किया, न कि प्रतिवाद का मूल्यांकन किया और गलत तरीके से लेकिन और अपील को मंजूरी दी, जबकि उसे नोटिस किया गया था, उत्तरवादी नंबर 1 ने भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई और अपील की सुनवाई में भाग लिया और जब उसके खिलाफ डिक्री पारित की गई, तो अपील के अनुचित विशिष्ट मूल्यांकन प्रदर्शन का मुद्दा उठाया गया और यह तर्क दिया गया कि चूंकि अदालत की फीस का भुगतान नहीं किया गया है और अपील का मूल्यांकन नहीं किया गया है प्रतिदावे के लिए और तर्क अंतिम हो गया है, जिस पर व्य. प्र. सं. के आदेश 20 नियम 19 में निहित प्रावधानों के दृष्टिकोण में विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पहले से ही केरल उच्च न्यायालय द्वारा पंपारा फिलिप (पूर्वोक्त) में माना गया है कि एकीकृत होने के कारण मुकदमा और प्रतिदावे की कार्यवाही होगी, कार्यवाही का संयोजन, अपील मुकदमे का मूल्यांकन और प्रतिदावे का मूल्यांकन, इस प्रकार, प्रतिदावे की डिक्री पर सवाल उठाने वाले वादी द्वारा अलग से अपील प्रस्तुत न करने पर, यह नहीं माना जा सकता है कि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री वादी के खिलाफ अंतिम हो गई है। यह केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. चूंकि अपील की गुण–दोष के आधार पर सुनवाई की गई थी और अंतिम निर्णय पहले ही दिया जा चुका है और उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और उसने बिना किसी विरोध और आपत्ति के अपील की कार्यवाही में भाग लिया था, इसलिए उसे द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष ऐसा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सच है कि प्रस्तुत की गई अपील अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के आदेश के लिए मूल्यवान नहीं थी, लेकिन इससे आदेश अमान्य नहीं हो जाता क्योंकि समेकित अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई थी। हालांकि, वादी को आज से 45 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद के

3 2012 SCC OnLine Bom 324

लिए 8250 रुपये का अतिरिक्त न्यायालय शुल्क अदा करना होगा, जैसा कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल्यांकित है और प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उपरोक्तानुसार न्यायालय शुल्क के भुगतान के अधीन प्रभावी होगा।

13. प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और निर्णय को तदनुसार संशोधित किया जाता है। कोई लागत नहीं। अपीलीय निर्णय तैयार किया जाए।

सही /–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur